

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: nsscceraj@gmail.com Ph.: 8209357575

क्रमांक: एफ.8(31)पुरस्कार/NSS/CCE/2022/941-45

दिनांक: ५ जनवरी, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
(एन.एन.एस. से सम्बद्ध) राजस्थान।

विषय :— राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार 2021–22 बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार 2021–22 के चयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 23.01.2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. पुरस्कारों की संख्या :

1. राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए 4 महाविद्यालयों का चयन किया जायेगा, जिनमें से 2 महाविद्यालय सह शिक्षा एवं 2 महाविद्यालय महिला शिक्षा के होंगे।
2. 6 कार्यक्रम अधिकारियों का चयन किया जावेगा, जिनमें से 3 कार्यक्रम अधिकारी सह शिक्षा महाविद्यालयों से एवं 3 कार्यक्रम अधिकारी महिला शिक्षा महाविद्यालय के होंगे।
3. 12 स्वयं सेवकों का चयन किया जावेगा, जिनमें से 6 स्वयं सेवक सह शिक्षा महाविद्यालयों से एवं 6 स्वयं सेवक महिला महाविद्यालयों से होंगे।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं गुणवत्ता के आधार पर सहशिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार उक्त आधार पर कुल पुरस्कारों की संख्या में भी परिवर्तन सम्भव है।

2. चयन की प्रक्रिया :-

आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों का चयन आवेदन पत्र के आधार पर किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार सत्र 2021–22 के आवेदन पत्रों में आयुक्तालय द्वारा जारी एन.एस.एस. कैलेण्डर 2021–22 की पालना का पूर्ण विवरण अंकित करना एवं समस्त पत्राचार की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन—पत्र अपूर्ण मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

3. आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि :-

पुरस्कारों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर में दिनांक 23.01.2023 तक आवश्यक रूप से पहुंच जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. पुरस्कारों की प्रकृति :

पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था के प्राचार्य, पुरस्कृत होने वाले कार्यकम् अधिकारी एवं स्वयं सेवक को शील्ड/प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक स्वयं सेवक (छात्र/छात्रा)/कार्यकम् अधिकारी को ही नामित करें। एक महाविद्यालय से एक कार्यकम् अधिकारी/एक स्वयं सेवक को ही नामित करें। स्थानीय स्तर पर चयन के लिए समिति का गठन किया जावे तथा आवेदन पत्र पर समिति की अनुशंशा स्पष्ट रूप से अंकित करें। समिति की अनुशंशा एवं प्राचार्य की टिप्पणी के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे। आवेदन पत्रों के साथ प्रमाण स्वरूप आवश्यक फोटोग्राफः, समाचार पत्रों की प्रति, स्थानीय संस्थाओं/अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों की प्रति अवश्यक लगाये। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप (कुल-3)

(केसर लाल मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय, टॉक रोड, जयपुर।
3. राज्य सम्पर्क अधिकारी शिक्षा (गुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड हेतु।

(डॉ. सुरेन्द्र सिंह)
समन्वयक,
युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ

(टॉ. सुरेन्द्र सिंह)

राष्ट्रीय सेवा योजना

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र सत्र 2021–22

(नोट :- सत्र 2020–21 व 2021–22 की गतिविधियों का ही विवरण प्रस्तुत करें)

(संस्थागत)

1. महाविद्यालय का नाम (सहशिक्षा / महिला शिक्षा)फोन / ई-मेल पता
2. प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता
3. सत्र में महाविद्यालय में कार्यरत इकाईयों की संख्या
4. सत्र में महाविद्यालय द्वारा गठित स्थानीय परामर्शदात्री समिति के गठन के आदेश एवं कार्यवाही का विवरण तथा इकाई / इकाईयों के कार्यवाही रजिस्टर की प्रति।
5. इकाई / इकाईयों के स्वयं सेवकों के नामांकन / पंजियन सूचना की प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति
6. राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों की तिमाही व अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट की प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति।
7. सत्र के दौरान इकाईयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर की तिथि, गोद लिये गये गांव / बस्ती का इकाईवार नाम एवं उपस्थित स्वयं सेवकों की सूची।
8. सत्र के दौरान इकाईयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर में गोद लिये गये गांव / बस्ती में किये गये कार्यों का विवरण।
9. सत्र में कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को नेतृत्व प्रदान करने की पहल, रुचि एवं उपलब्धियां।
10. सत्र में इकाईवार एन.एस.एस. के प्रपत्र 1 से 5 भेजने की प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रपत्रों की प्रति संलग्न करें।
11. सत्र के दौरान इकाईयों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य का उल्लेख।
12. सत्र में एन.एस.एस. गतिविधियों के विरुद्ध लम्बित जांच / मामले का विवरण।
13. उपलब्धियों के अपेक्षित स्तर के प्रतिवेदन की प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति।
14. सत्र में विशेष शिविर रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन व उपयोगिता प्रमाण पत्र (ए, डी, एफ प्रपत्र में) इकाईवार प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति।
15. स्वयं सेवकों के प्रमाण पत्र की प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषण संख्या, तिथि एवं सूचि की प्रति।
16. सत्र के दौरान एन.एस.एस. गतिविधियों को गतिशील बनाने के लिए अन्य विभागों / संस्थाओं / एनजीओ से सहयोग प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण।
17. एन.एस.एस. के द्वारा किया गया संस्था में स्थाई सम्पत्तियों का सृजन (भय विवरण)। सम्पत्तियों का मूल्यांकन – नगरपरिषद, विकास अधिकारी, अभियन्ता जिससे सम्बन्धित हो (कोई एक) द्वारा करवाया जाना आवश्यक है एवं प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें।

स्थानीय चयन समिति के संयोजन के हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित

राष्ट्रीय सेवा योजना

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र सत्र 2021-22

नोट :-

- सत्र 2020-21 व 2021-22 की गतिविधियों का ही विवरण प्रस्तुत करें।
- जिस इकाई का कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार हेतु आवेदन कर रहा है या किया जा रहा है केवल उसी इकाई की उपलब्धियों का ही विवरण भरें।

(कार्यक्रम अधिकारी)

- महाविद्यालय का नाम (सहशिक्षा / महिला शिक्षा)फोन / ई-मेल पता
- कार्यक्रम अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता
- कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अवधि
- सत्र में महाविद्यालय द्वारा गठित स्थानीय परामर्शदात्री समिति के गठन के आदेश एवं कार्यवाही का विवरण तथा इकाई / इकाईयों के कार्यवाही रजिस्टर की प्रति।
- इकाई के स्वयं सेवकों के नामांकन / पंजियन सूचना, प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति
- राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की गतिविधियों की तिमाही व अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट की प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति।
- सत्र के दौरान इकाईयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर की तिथि, गोद लिये गये गांव / बस्ती का नाम एवं उपस्थित स्वयं सेवकों की सूची।
- सत्र के दौरान इकाईयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर में गोद लिये गये गांव / बस्ती में किये गये कार्यों का विवरण।
- सत्र में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महाविद्यालय में संचालित अन्य इकाईयों से समन्वय एवं स्वयं सेवकों को नेतृत्व प्रदान करने की पहल, रुचि एवं उपलब्धियां।
- सत्र में इकाई के एन.एस.एस. प्रपत्र 1 से 5 भेजने की तिथि एवं प्रेषण संख्या, तथा प्रपत्रों की प्रति संलग्न करें।
- सत्र के दौरान इकाई द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य का उल्लेख -
 - गोद लिये गांव में
 - महाविद्यालय परिसर के विकास में
 - स्थानीय प्रशासन के साथ में मिलकर किये गये कार्य
- सत्र में इकाई की गतिविधियों के विरुद्ध लम्बित जांच / मामले का विवरण।
- उपलब्धियों के अपेक्षित स्तर के प्रतिवेदन की प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति।
- सत्र में विशेष शिविर रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन इकाईवार प्रेषण संख्या, तिथि एवं प्रति।
- स्वयं सेवकों के प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षर प्रेषित पत्र की हेतु प्रेषण संख्या, तिथि एवं सूचि की प्रति।
- सत्र के दौरान एन.एस.एस. गतिविधियों को गतिशील बनाने के लिए अन्य विभागों / संस्थाओं / एनजीओ से सहयोग प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / सम्भग / जिला स्तर पर कैम्प / प्रशिक्षण / प्रतिनिधि मण्डल में भाग लेने का विवरण।
- कार्यक्रम अधिकारी को सत्र में प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / सम्भग / जिला स्तर पर पुरस्कार / सम्मान / विशेष योगदान का विवरण।
- इकाई द्वारा संस्था में स्थाई सम्पत्तियों के सृजन का विवरण।

पासपोर्ट साईज

फोटो

नोट :-

एक संस्था से केवल एक कार्यक्रम अधिकारी का ही आवेदन भेजे। एक से ज्यादा कार्यक्रम अधिकारियों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त समस्त आवेदन निरस्त माने जायेंगे।

स्थानीय चयन समिति के संयोजन के हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित

राष्ट्रीय सेवा योजना

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र सत्र 2021-22

नोट :-

1. सत्र 2020-21 व 2021-22 की गतिविधियों का ही विवरण प्रस्तुत करें।
2. जिस इकाई का स्वयं सेवक पुरस्कार हेतु आवेदन कर रहा है या किया जा रहा है केवल उसी इकाई की उपलब्धियों का ही विवरण भरें।

(स्वयं सेवकों के लिए)

1. महाविद्यालय का नाम (सहशिक्षा / महिला शिक्षा)फोन नम्बर एवं ई-मेल, पता
2. प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता
3. स्वयं सेवक का नाम, कक्षा, फोन / मोबाइल नम्बर / ई-मेल, पता
4. स्वयं सेवक के रूप में पंजीयन की तिथि
5. स्वयं सेवक द्वारा सत्र में एन.एस.एस. डायरी संधारण की प्रति
6. स्वयं सेवकों द्वारा सत्र में किये गये सेवा कार्य-समय (घण्टों में) का विवरण एवं पंजीयन अवधि
7. विशेष शिविर में भाग लेने का तिथि सहित विवरण
8. रक्तदान / नेत्रदान / प्रतिज्ञा / वृक्षारोपण / पर्यावरण / जल संरक्षण / शांति एवं सद्भाव / संरक्षण / साक्षरता / स्वास्थ्य शिक्षा / सामुदायिक विकास कार्य इत्यादि अलग कागज पर ब्यौरा दें।
9. गोद लिये गये समुदाय में सामाजिक, आर्थिक स्तर को उपर उठाने में अन्य युवाओं को प्रेरित करने में नेतृत्व के गुण और अन्य पहल
10. क्या उसे कभी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है अथवा उनके विरुद्ध कोई मामला लम्बित पड़ा है टिप्पणी करें।
11. कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन, सम्पूर्ण तथ्यात्मक ब्यौरा सहित अलग कागजात संलग्न करें।
12. सत्र में स्वयं सेवक द्वारा विदेश में गये युवा एक्सचेन्ज कार्यक्रम में भाग लेने / राष्ट्र स्तर / राज्य स्तर / सम्भाग / जिला स्तर के कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण में भाग लेने का विवरण (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।
13. इकाई के कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा
14. प्राचार्य की अनुशंसा

नोट :-

एक संस्था से केवल एक कार्यक्रम अधिकारी का ही आवेदन भेजे। एक से ज्यादा कार्यक्रम अधिकारियों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त समस्त आवेदन निरस्त माने जायेंगे।

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थानीय चयन समिति के संयोजन के हस्ताक्षर

पासपोर्ट साईज

फोटो

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित